न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड . आर.ए.एस.

वादी –	बनाम	प्रतिवादीगण :–
भंवरदान पुत्र शिम्भुदान चारण निवासी बिसास तह. परबतसर		1. नेनूराम पुत्र स्व. बीजाराम जाट 2. हेमाराम पुत्र स्व. बीजाराम जाट निवासी बिसास तह. परबतसर 3. तहसीलदार, परबतसर

दावा बाबत – घोषणा,दुरूस्ती रेकर्ड व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री ऋषि बोहरा , अधिवक्ता वादी
श्री विजेन्द्रसिंह , अधिवक्ता प्रतिवादी 1, 2

मुकदमा नम्बर :– 52 / 2011 निर्णय दिनांक :– 17/02/2020

निर्णय

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री ऋषि बोहरा ने यह वाद पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम बिसास के खसरा नम्बर 157 रकबा 4.03 बीघा भूमि स्थित हैं। सेटलमेन्ट से पूर्व उक्त कृषि भूमि वादी के पूर्वजो की जागीर खुद काश्त की रही हैं तथा वक्त सेटलमेन्ट व लागू होने मारवाड काश्तकारी अधिनियम के वक्त वादी के पिता शिम्भूदान पुत्र शंकरदान के कब्जे काश्त में रही हैं तथा सम्वत 2009 की गिरदावरी में वादी के स्वर्गीय पिता शिम्भूदान के नाम से काश्त दर्ज की गई हैं वादी के पिता ने इसका लगान राज्य सरकार में समय – समय पर जमा करवाया हैं तथा गिरदावरी में वादी के स्वर्गीय पिता शिम्भूदान पुत्र शंकरदान के नाम से गिरदावरी काश्त दर्ज होती आई हैं तथा सम्वत 2009 से 2012 तक वादी के पिता के नाम दर्ज हुई तथा सम्वत 2018 से 2021 में भी गिरदावरी के कॉलम संख्या 5 में जागीर रिज्यूम लिखकर कॉलम संख्या 6 में बींजा पुत्र नाथ जाट का नाम दर्ज कर दिया गया जो गलत हैं तथा गिरदावरी शिम्भूदान पुत्र जवारदान के दर्ज की गई हैं, सम्वत 2029–2032 तक जब तक गिरदावरी होती रही हैं वादी के पिता शिम्भुदान पुत्र शंकरदान के नाम दर्ज होती आई हैं उनके स्वर्गवास के बाद वादी काश्त करता आया हैं प्रतिवादी 1 व उसके पूर्वजो का उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा ना ही आज दिन हैं लेकिन केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की भूमि से प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज चला आ रहा हैं प्रतिवादी 1 का नाम राजस्व कर्मचारियो की गलती से भूल से दर्ज चला आ रहा हैं जिससे प्रतिवादी की नियत में फितुर आ गया हैं तथा वह वादी को उसकी पैतृक बेदखल करने पर आमादा हैं जबकि मौके पर वादी की सम्पूर्ण भूमि बाड खन्दक युक्त हैं वादी ने इसमें लाखो रूपये अपनी खून पसीने की कमाई लगाकर इसे खाद डालकर उपजाउ बनाया हैं काफी हरे वृक्ष लगाये हैं तथा चारो ओर बाड खन्दक लगा रखी हैं इसलिए वादी बाई एडवरस पजेशन ऑफ ला भी खातेदारी अपने नाम

17/2/2020
उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

दर्ज करवाने का अधिकारी हैं तथा रेकर्ड में दुरूस्ती करवाने का अधिकारी हैं बिनाय दावा अभी वादी द्वारा अपनी कृषि भूमि का ओर विकास करने के लिये किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आवेदन करने पर जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने तथा उसमें वादी के नाम का इन्द्राज नहीं होने पर बमुकाम बिसास पैदा हुआ। वादी ने वाद पेश कर ग्राम बिसास के खसरा नम्बर 157 रकबा 04-03 बीघा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने हेतु पाबन्द किये जाने की इस्तदुआ की है।

2 वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 25.07.2011 को प्रतिवादी 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अरूणकुमार माथूर ने उपस्थिति दी तथा प्रतिवादी 4 का सम्मन विधिवत तामील होकर प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 09.05.2012 को प्रतिवादी 1 व 3 की ओर से जबाब पेश किया गया तथा प्रतिवादी 2 की ओर से जबाब पेश नहीं किये जाने पर प्रतिवादी 2 का जबाब दिनांक 05.06.2012 को बन्द किया गया। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जबाब दावे में निवेदन किया गया हैं कि सेटलमेन्ट के वक्त उक्त भूमि पर वादी 1, 2 के दादा व प्रतिवादी 3 के ससुर काश्त करते आये हैं जिसके अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में बींजाराम का नाम दर्ज चला आ रहा हैं उक्त भूमि की विगोड़ी प्रतिवादी के पिता व प्रतिवादी जमा करवाता आया हैं गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राईट नहीं हैं न ही गिरदावरी के आधार पर खातेदारी दर्ज की जा सकती हैं, प्रतिवादी का दादा उक्त भूमि में सेटलमेन्ट के पूर्व से काश्त करता आया हैं इसी आधार पर प्रतिवादी के दादा का नाम दर्ज हुआ तथा उसके बाद उत्तराधिकार के अनुसार प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा हैं वादी की कृषि भूमि प्रतिवादी की इस भूमि के उत्तरी सीमा से लगती हुई हैं जिससे वादी उक्त भूमि खरीदने के लिये प्रतिवादी पर जबरन दवाव बनाता आया हैं प्रतिवादी द्वारा भूमि का वादी को बैचान नहीं करने से वादी ने यह बेबुनियाद आधारहीन वाद प्रस्तुत किया हैं जो खारिज योग्य है। तत्पश्चात तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। दिनांक 29.09.2014 को प्रतिवादी 3 फौत होने व उसके कायम मुकामान प्रतिवादी 1 व 2 पूर्व से ही रिकार्ड पर होने के चलते प्रतिवादी 3 का नाम वाद से डिलिट किया गया। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जबाब दावे में निवेदन किया गया हैवादी की साक्ष्य में वादी भंवरदान के बयान पी. डब्ल्यू - 1 गवाह रामूराम पी.डब्ल्यू-2 , हुक्माराम पी.डब्ल्यू-3, जेठाराम पी.डब्ल्यू - 4 बयान लिये गये दिनांक 09.03.2016 को वादी की साक्ष्य रिबर्टल रिजर्व रखते हुऐ बन्द कर साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की गई। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी नेनूराम डी. डब्ल्यू - 1 , गवाह कैलाश डी डब्ल्यू- 2, छोटूराम डी.डब्ल्यू-3, हेमाराम डी.डब्ल्यू- 4, हनुमानराम डी.डब्ल्यू - 5, नेमीराम डी.डब्ल्यू- 6, चुनाराम डी. डब्ल्यू- 7 के बयान लिये गये। वादी ने दस्तावेज जी साक्ष्य में जमाबन्दी सम्वत 2061-64 प्रदर्श- 2, गिरदावरी नकल सम्वत 2005 से 2017 प्रदर्श- 3

Scanned by CamScanner

गिरदावरी सम्वत 2018 से 2032 प्रदर्श– 4 पश की है। प्रतिवादी ने दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्श– ईएक्स डी 1 से 11 बिगाडी रसीद , प्रदर्श– ईएक्ट डी 12 गिरदावरी सम्वत 2009 से 2012 जमाबन्दी सम्वत 2049 से 2052 ईएक्ट डी– 13, जमाबन्दी सम्वत 2021 से 2024 ईएक्ट डी – 14 पश की है।

3 वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पर उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई पत्रावली एव पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया विधि के सुसंगत प्रावधानों क परिप्रेक्ष्य मे बहस पर मनन किया जाकर वादी के वाद का तनकीवार निर्णय इस प्रकार से है कि –

1– आया वादी ग्राम बिरासर के खसरा नम्बर 157 रकबा 4–03 बीघा भूमि की एडवरस पजेशन के आधार पर खातेदारी पाने का अधिकारी है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी के अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया हैं कि सेटलमेन्ट से पूर्व उक्त भूमि पर वादी के पिता शिम्भूदान का कब्जा काश्त था सेटलमेन्ट के बाद भी वादी के पिता शिम्भूदान की काश्त थी जागीर रिज्यूम होने के समय गलती से बींजा पुत्र नाथा जाट का नाम दर्ज कर दिया गया जो गलत हैं गिरदावरियों में सम्वत 2009 से 2012 एवं 2029–2032 तक वादी के पिता के नाम दर्ज होती आयी हैं सम्वत 2018 से 2021 में गिरदावरी के कॉलम संख्या 5 में जागीर रिज्यूम लिखकर कॉलम संख्या 5 में बींजा पुत्र नाथ जाट का नाम अंकित कर दिया गया जो गलत है, वादी बाई एडवरस पजेशन इस भूमि की खातेदारी पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी ने दौराने बहस जाहिर किया हैं कि वादी ने गलत तथ्यों पेश कर झूठा वाद पेश किया हैं उक्त भूमि पर शुरू से ही प्रतिवादी के दादा बींजाराम का कब्जा काश्त था तथा सेटलमेन्ट से समय कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी बींजाराम के नाम दर्ज हुई जिसके बाद जरिये उतराधिकारी प्रतिवादीगण का नाम दर्ज चला आ रहा हैं वादीगण को खातेदारी पाने का कोई अधिकार नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी सम्वत 2005 से 2008 जो इस प्रकार से दर्ज हैं

खेत की संख्या नाम (कॉलम संख्या 1)	क्षेत्रफल (कॉलम संख्या 2)	नाम भूमि अधिकारी (कॉलम संख्या 5)	नाम कृषक उप कृषक (कॉलम संख्या 6)	कॉलम संख्या 16	कॉलम संख्या 24	कॉलम संख्या 32	कॉलम संख्या 40
157 कजोडिया	12–10 बीघा	मकबूजा जागीरदार दला वल्द माला 1/4, बींजा वल्द नाथा 1/4) 1/2 कौम जाट मूलदान वल्द देवीदान	रिक्त हैं	बदस्तूर	रिक्त है	बदस्तूर	रिक्त है

गिरदावरी सम्वत 2009 से 2012 में भी खसरा नम्बर 157 रकबा 12–10 बीघा भूमि में कॉलम संख्या 5 में मूलदान वगैराह तथा कॉलम संख्या 6 में मकबूजा जागीरदार दल्ला वल्द माला, बीजा वल्द नाथा 1/3 कौम जाट सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं तथा गिरदावरी सम्वत 2013 में खसरा नम्बर 157 रकबा 4–03 बीघा भूमि कॉलम संख्या 5 में मूलदान वगैराह तथा कॉलम संख्या 6 में दल्ला पुत्र माला कौम जाट सा. देह खातेदार काश्त शिम्भुदान, शंकरदान पि. जुहारदन कौम चारण सा. देह जागीर खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं इसी प्रकार सम्वत 2014 से 2017 में दर्ज रिकार्ड हैं गिरदावरी सम्वत 2018 से 2021 में

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 157 रकबा 4–03 बीघा भूमि में कॉलम संख्या 5 में रिज्यूम जागीर कॉलम संख्या 6 में दल्ला पुत्र माला जाट सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं इसी प्रकार सम्वत 2032 तक लगातार दर्ज रिर्काड हैं। इस सम्बन्ध में वादी ने अपने बयानों में बताया हैं कि मेरे पिता जी दो भाई हैं मेरे पिता का नाम शिम्भुदान व काका का नाम शंकरदान हैं शंकरदान जी के तीन पुत्र हैं मैं सन् 1992 में नायब तहसीलदार के पद से सेवानिवृत हुआ हैं, बीजा हमारे सिरी था प्रतिवादी 1 व 2 के पिता का नाम बीजा था बीजा का के पिता का नाम दल्ला था, दल्ला पुत्र माला प्रतिवादी नेनूराम व हेमाराम का दादा था, मूलदान जी मेरे वडे पिता के लड़के भाई लगते थे जिनके वारिसान को प्रतिवादी नही बनाया हैं खसरा नम्बर 157 का रकबा 12 –10 बीघा था इस खसरे की 08–07 बीघा जमीन मैने बैचान कर दी हैं जिसकी मेरे नाम खातेदारी थी। गिरदावरी के अनुसार ग्राम बिसास के खसरा नम्बर 157 रकबा 12–10 बीघा भूमि था तथा सम्वत 2005 से ही उक्त भूमि में जागीरदार दल्ला वल्द माला व बींजा वल्द नाथा का नाम दर्ज चला आ रहा हैं वादी स्वंय ने स्वीकार किया हैं कि इस खसरे में से 8–07 बीघा भूमि जो मेरे नाम दर्ज थी उसका मेने बैचान कर दिया हैं, जिससे स्पष्ट होता हैं कि उक्त भूमि में 8–07 बीघा भूमि वादी की एवं शेष 4–03 बीघा भूमि प्रतिवादीगण की भूमि थी, जो गिरदावरी सम्वत 2005 से 2032 से भी सिद्ध होता हैं। वादी स्वंय ने अपने वाद में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी दर्ज करवाने का अधिकारी होना स्वीकार किया है, कानूनन प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा नहीं की जा सकती हैं प्रतिवादीगण के दादा सम्वत 2005 से ही इस भूमि में खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड हैं तथा जागिर रिज्यूम होने के बाद से प्रतिवादीगण उक्त भूमि के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। जिससे तनकी संख्या 1 वादी के हक में सिद्ध नहीं होती है।

2– आया प्रतिवादी विवादित भूमि के प्रतिवादी शुरू से ही खातेदार काश्तकारी दर्ज रिकार्ड हैं वादी खातेदारी पाने का अधिकारी नहीं हैं वाद खारिज योग्य है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था प्रतिवादी के अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया हैं कि ग्राम बिसास के खसरा नम्बर 157 रकवा 4–03 बीधा भूमि वक्त सेटलमेन्ट के समय से ही प्रतिवादी के दादा की खातेदारी में दर्ज चली आ रही हैं सेटलमेन्ट के पूर्व में प्रतिवादी के दादा काश्तकार होने से सेटलमेन्ट में खातेदारी अधिकार प्राप्त हुई हैं तथा उनके उत्तराधिकार में उक्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई हैं जिससे इस भूमि में वादी को खातेदारी पाने का कोई अधिकार नही है। इसके समर्थन में प्रतिवादी ने जमाबन्दी सम्वत 2010 से 2013 पेश की हैं जिसमे ग्राम बिसास के खसरा नम्बर 157 रकबा 4–03 वीघा भूमि की खातेदारी दल्ला पुत्र माला जाट सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड हैं जो सम्वत 2032 तक बदस्तूर दर्ज चली आ रही हैं तथा सम्वत 2029–2032 में दल्ला पुत्र माला खातेदार फौत होने पर जरिये नामान्तकरण संख्या 62 बींजा पुत्र दल्ला जाति जाट के नाम खातेदारी दर्ज हुई हैं। गिरदावरी सम्वत 2005 से

2008 मे खसरा नम्बर 157 रकबा 12--10 बीघा भूमि में वादी के पूर्वजो के साथ दल्ला पुत्र माला का नाम दर्ज रिकार्ड हैं. इस भूमि में से 8--07 बीघा भूमि वादी के नाम दर्ज हुई हैं जिसका वादी स्वय द्वारा बैचान कर दिया गया जो वादी ने अपने बयानों में स्वीकार किया है. प्रतिवादी ने बिगोडी रसीदे प्रदर्श– 1 से 11 पेश की हैं। जिससे स्पष्ट होता हैं कि प्रतिवादी के दादा इस भूमि में वक्त सेटलमेन्ट के समय से ही 4–03 बीघा भूमि के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं तथा गिरदावरी के अनुसार सम्वत 2005 से 2008 में भी वादी के दादा का नाम खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड हैं। प्रतिवादी ने नजीर आर.आर. डी 1997 पेज 90 प्रतिनिध आफ गोमाराम बनाम अब्दुल वहीद पेश की हैं जिसमें प्रतिपादित किया गया हैं कि लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा नहीं की जा सकती हैं आर. आर. डी 1997 429 में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर जारी डिक्री को अपास्त किया गया हैं। इस सम्बन्ध में कानून की स्थिति स्पष्ट हैं कि केवल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं चाहे कब्जा कितना ही लम्बा क्यों न हो तथा परिवर्तनशील खसरा गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राईट नहीं हैं जिसमें यदि कब्जे की प्रविष्टि हो तो भी उसके आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। सेटलमेन्ट के पूर्व से ही वादी के पूर्वज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज हैं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से तनकी संख्या 2 प्रतिवादी के पक्ष में सिद्ध होती है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध तय होने व तनकी संख्या 2 प्रतिवादी के पक्ष में सिद्ध होने से वादी अपना वाद सिद्ध करने में असफल रहा हैं जिससे वादी का वाद स्वीकार योग्य किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः वादी दावा बाबत खातेदारी दुरूस्ती रेकर्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद सिद्ध करने में असफल रहने से वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। यह आदेश आज दिनांक 17/2/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/2/2020

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

डिकी मुकदमा इब्तहाई (ओ. 20 रूल 6–7 दीवानी)
अदालतः– **उपखण्ड अधिकारी परबतसर , जिला नागौर, राज.**
अज अदालत :– मुकेश कुमार मूंड , आर.ए.एस.

वादी – वनाम प्रतिवादीगण :–
भंवरदान पुत्र शिम्भुदान चारण
निवासी बिसारा तह. परवतसर

1. नेनूराम पुत्र स्व. बीजाराम जाट
2. हेमाराम पुत्र स्व. बीजाराम जाट
निवासी बिसास तह. परबतसर
3. तहसीलदार, परबतसर

मुकदमा नम्बर – 52/2011 निर्णय दिनांक :– 17/2/2020

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री ऋषि बोहरा अधिवक्ता वादी एंव श्री विजेन्द्रसिह अधिवक्ता प्रतिवादी को डिकी दी जाती हैं कि :–

वादी दावा बाबत घोषणा दुरूस्ती रेकर्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा सिद्ध करने में असफल रहने से वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17/2/2020 को जारी की गई।

मुहर दस्तखतः [signature] 17/2/2020
ओहदा : उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा	NIL	NIL	स्टम्प अर्जीदावा	NIL	NIL
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गाहान		
खर्चा गाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरीक		
मुतफरीक					
मीजान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL

[signature] 17/2/2020
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner